बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–2/अ0प्र0–2–50/2014 546 /पटना, दिनांक :– 12.3.21

श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या–14/13 दिनांक 29.05.2013 धारा–13(2) सह–पठित धारा 13(1) (ई) भ्र0नि0अधि0–1988 के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–2596 सह–पठित ज्ञापांक–2597 दिनांक 06.08.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–9(i)(ग) के तहत निलंबित किया गया।

2. उक्त आरोपों पर श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' के आधार पर संकल्प ज्ञापांक 2598 अनु0 दिनांक 06.08.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति के पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या– 328–सह–पठित ज्ञापांक 329 दिनांक 15.01.2020 द्वारा इनके शत्–प्रतिशत पेंशन एवं उपादान की कटौती का दंड अधिरोपित किया गया है।

3. C.W.J.C. No. 13515/2016 से उद्भूत L.P.A. No. 1414/2017 में दिनांक 23.11.2017 को पारित आदेश के आलोक में श्री शर्मा को अधिसूचना संख्या–3723–सह–पठित ज्ञापांक 3724 दिनांक 29.12.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त कर दिया गया।

4. श्री शर्मा के निलंबन अवधि (06.08.2014 से 28.12.2017) का विनियमन आदेश संख्या–977 दिनांक 26.05.2020 द्वारा किया गया, जिसमें उक्त निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन–निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा के रूप में विनियमित किया गया है।

5. उक्त अधिरोपित दंड एवं निलंबन अवधि के विनियमन आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा के पत्रांक शून्य दिनांक 09.06.2020 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग को समर्पित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप अप्रमाणित पाये गये थे। विभाग द्वारा किये गये द्वितीय कारण पृच्छा में असहमति के बिन्दु स्पष्ट नहीं है एवं उनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के अधूरे जबाव को आधार बनाते हुए कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त श्री शर्मा द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि सेवाकाल में चलाये गये विभागीय कार्यवाही के आधार पर सेवानिवृति के उपरान्त बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिये एकतरफा निर्णय लेते हुए पेंशन एवं उपादान का पूर्ण कटौती का आदेश निर्गत कर दिया गया है। निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्गत आदेश दिनांक 26.05.2020 के संबंध में श्री शर्मा का कहना है कि एक ही दोष के लिये दो–दो बार सजा दिया गया है। उक्त आधारों पर श्री शर्मा द्वारा अपने विरूद्ध अधिरोपित शास्ति एवं निलंबन अवधि के वेतन संबंधी निर्गत आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

6. श्री शर्मा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री शर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर नियमसंगत अग्रेतर कार्रवाई अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक

(वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (2) के तहत की गयी है। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18 (2) में यह प्रावधान है कि "जाँच प्रतिवेदन के प्राप्त हेने पर, अनुशासनिक प्राधिकार यदि वह आरोप की किसी मद पर जाँच प्राधिकार के निष्कर्ष से असहमत हो तो ऐसी असहमति के लिये अपने कारणों को अभिलिखित करेगा तथा ऐसे आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करेगा, यदि उस प्रयोजनार्थ अभिलेख में उल्लेखित साक्ष्य पर्याप्त हो"।

उक्त नियम के तहत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार असहमति के बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए श्री शर्मा से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री शर्मा के पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 09.06.2020 में यह कहा जाना कि द्वितीय कारण पृच्छा के बिन्दु स्पष्ट नहीं है एवं उनके द्वारा समर्पित अधूरे जवाब को आधार बनाते हुए कार्रवाई की गई, तथ्यहीन पाया गया, क्योंकि श्री शर्मा को असहमति के पाँच बिन्दु स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की प्रति उन्हें उपलब्ध कराते हुए नियमानुसार द्वितीय कारण पृच्छा की गई, जिसके प्रत्युत्तर में श्री शर्मा के पत्र दिनांक 12.06.2018 द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में द्वितीय बचाव बयान भी समर्पित किया गया।

श्री शर्मा द्वारा अपने अभ्यावेदन में यह उल्लेख करना कि सेवाकाल में चलाये गये विभागीय कार्यवाही के आधार पर सेवानिवृति के उपरान्त बिना अपना पक्ष रखने का मौका दिये एकतरफा निर्णय लेते हुए पेंशन एवं उपादान का पूर्ण कटौती का आदेश निर्गत कर दिया गया है, तथ्य से परे है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत् मामले में श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही उनके सेवाकाल में ही प्रारंभ की गई थी तथा इस क्रम में श्री शर्मा के विरूद्ध विनिश्चित दंड–"सेवा से बर्खास्तगी" के प्रस्ताव पर तकनीकी कारणों से बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति तत्समय प्राप्त नहीं हो सकी। इस बीच श्री शर्मा दिनांक 31.01.2019 को सेवानिवृत हो गये। विभागीय कार्यवाही चलते रहने के दरम्यान आरोपित पदाधिकारी के सेवानिवृत हो जाने पर विभागीय कार्यवाही चलते रहती है ऐसे मामले में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत कार्रवाई को स्वतः परिर्वतन संबंधी आदेश निर्गत किये जाने का प्रावधान है। तद्लोक में श्री शर्मा के विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को आदेश ज्ञापांक–692 दिनांक 19.03.2019 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर पेंशन नियमावली के तहत दंड संसूचित किया गया है। चूँकि उनको अपना पक्ष रखने का अवसर पूर्व में ही विभागीय कार्यवाही एवं द्वितीय कारण पृच्छा के माध्यम से दिया जा चुका था, ऐसे स्थिति में पेंशन नियमावली के तहत पुनः पक्ष रखने का अवसर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही प्रस्तावित दंड पर आरोपित पदाधिकारी का पक्ष रखने का प्रावधान नहीं है।

श्री शर्मा द्वारा उनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में निर्गत आदेश सं0–977 दिनांक 26.05.2020 के संदर्भ में यह कहा जाना कि उन्हें एक ही दोष के लिये दो–दो बार सजा दी गई, तथ्यहीन पाया गया। चूँकि श्री शर्मा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में शास्ति अधिरोपित की गयी है, ऐसी स्थिति में निलंबन अवधि का पूर्ण वेतन भत्तों का भुगतान अनुमान्य नहीं है। अतएव निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में लिया गया निर्णय नियमसंगत है।

7. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि नियम में प्रावधानित प्रक्रिया का अनुपालन कर साक्ष्य समर्थित अभिलेख के आधार पर आरोपों की गंभीरता के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध प्रश्नगत् दंड/आदेश संसूचित किया गया है।

8. अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक 09.06.2020 को अस्वीकृत किया जाता है।

12.03.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–50/2014 546 /पटना, दिनांक :– 12.3.21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.21

उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–50/2014 546 /पटना, दिनांक :– 12-3-21

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर/पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, लेखा, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/ आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री रामचन्द्र शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–1, पटना सम्प्रति सेवानिवृत, पत्राचार का पता :– आदर्श बिहार कॉलोनी, रूकनपुरा, पोस्ट–बी0भी0 कॉलेज, पटना, पिन कोड–800014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.21

उप सचिव